

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बाली

-:आदेश:-

2024/67

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धर्णी व नूअनि मुसल
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम कागडी तहसील बाली व जिला
बाली की जमावन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 2, 31 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कागडी	2, 31	धीसाराम पुत्र मूलराम	धीसुलाल पुत्र मूलराम



उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- कोर्ट/2024/173-176

दिनांक - 7/2/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री धीसुलाल पुत्र मूलराम कुमवत नि-कागडी को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

∴ पटवारी हल्का धर्णी

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर